९०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

190
12.6.15

निगरानी 2204-II-15

1. अंगद प्रसाद तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा

2. रामाश्रय तनय स्व.श्री रामदेव कुशवाहा

दोनों निवासी ग्राम भरौहा, तह.रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

---- निगरानीकर्तागण

श्री. आदित्य त्रिपाठी एड के द्वारा आज दिनांक 12-6-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. भोला प्रसाद तनय स्व.रामदेव कुशवाहा	दोनों नि.ग्राम भरौहा, तह.
2. श्रीमती सुकवरिया पत्नी स्व.रामदेव कुशवाहा	रामपुर बाघेलान जिला सतना

3. श्रीमती शैलिया उर्फ रामरती पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी शिवदास कुशवाहा, निवासी बांदाबाग रीवा

क्रमांक 5859 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... प्राप्त ... राजस्व मण्डल ग्वालियर

4. श्रीमती दुखीया उर्फ सावित्री पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी सूर्यपाल कनौजिया, नि.कहान वाले नामदेव जी के सामने गायत्री नगर अधारताल जबलपुर म.प्र.

5. बैकुंठी पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी कौशल प्रसाद कुशवाहा, निवासी पुष्पराज नगर नृत्यराघव स्कूल के सामने पुष्पराज नगर रीवा म.प्र.

6. श्रीमती कुन्ती पुत्री स्व.रामदेव कुशवाहा पत्नी बाबूलाल कुशवाहा (फौत)

वारिसान - (अ) ओमप्रकाश नारायण तनय स्व. बाबूलाल कुशवाहा

(ब) राजू तनय स्व.बाबूलाल कुशवाहा

(स) रेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा

(द) सुलेखा पुत्री स्व.बाबूलाल कुशवाहा

सभी निवासी जानकी कुण्ड आरोग्यधाम मोड़ के पास चित्रकूट, तहसील मझगवां जिला-सतना म.प्र.

--- गैर निग.गण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2204–दो/2015 निगरानी — जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 209/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 11 अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 22–5–08 के विरूद्व अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 47/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–3–2009 से निरस्त की है। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 209/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 से निगरानी निरस्त की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–4–15 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि तहसीलदार व्दारा पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील प्रकरण का दिनांक 3–4–2008 को निराकरण हो चुका है जिसके पालन में दिनांक 11–4–08 को तहसीलदार व्दारा अभिलेख भी दुरूस्त करवा दिया गया, जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी	

को खारिज कर दिया गया है । इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 209/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है एंव आवेदकगण की निगरानी निरस्त की है । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7–3–09 एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–4–15 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅंजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 209/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–4–15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य